मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 6-1-1007-78-3-एक

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 1978—चैत्र 17, 1900

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—तदर्थ रूप से पदोन्नत शासकीय सेवक को निलंबन में रखना.

कई बार शासकीय सेवकों को भरती नियम में निर्धारित पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया के अनुसरण में विलम्ब लगने के कारण शासकीय कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उच्च पद में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर दिया जाता है. यदि इस प्रकार तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये शासकीय सेवक को किसी आपराधिक मामले या विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही के सिलसिले में निलंबन में रखना हो, तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर देना चाहिये. जिस पद से उसे उच्च पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत कर दिया गया था. ऐसी कार्यवाही इसलिये आवश्यक है कि तदर्थ रूप से किसी शासकीय सेवक को पदोन्नति उस पद पर वास्तविक रूप से कार्य करने के लिये ही की जाती है. उसे निलंबन में रखने पर वह उस पद का कार्य नहीं कर सकेगा, इसलिये उसको निलंबन की अवधि में तदर्थ रूप से पदोन्नति किये पद पर रखना शासकीय हित में नहीं होगा.

सभी विभागों से निवेदन है कि इस अनुदेश का पालन किया जाये

जी. वेंकन्ना,
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.